भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4066

दिनांक 30 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

उत्तराखंड में छोटे किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाएं

4066. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए गुल नहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना जैसी लघु सिंचाई योजनाओं के विस्तार हेतु कोई योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जी, हां। वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य खेतों में जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, सतत जल संरक्षण प्रथाओं आदि को शुरू करना है। पीएमकेएसवाई के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत लघु सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों [हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड] में, न्यूनतम 10 हेक्टेयर के कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) वाली व्यक्तिगत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजना या 5 किमी के दायरे में न्यूनतम 20 हेक्टेयर के सीसीए वाली योजनाओं का क्लस्टर, 90 (केंद्र): 10 (राज्य) के वित्तपोषण पैटर्न के तहत केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। गुल नहर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं भी पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई घटक के अंतर्गत स्वीकार्य हैं।

उत्तराखंड में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत गुल नहर निर्माण, टैंक निर्माण और पाइपलाइन कार्यों से संबंधित कुल 422 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। तथापि, इनमें से कोई भी योजना गुल नहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से संबंधित नहीं है।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए गुल, नहर, तालाब और पाइपलाइन लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं जैसी सिंचाई योजनाएं विभिन्न राज्य क्षेत्र मदों के तहत भी कार्यान्वित की जा रही हैं।
